

✓ अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद/ तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान | एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है | | टिप्पणी |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कृष्णा सिंह | वरिष्ठ सहायक | कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा | पिथौरागढ़ | — | धारा के नाम के आगे ✓ लगाये | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | महोदय, विगत वर्ष में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून के ज्ञाप संख्या 474/05 व्यख-स्थानान्तरण/24 दिनांक 10.06.2025 द्वारा प्रार्थी का क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा से विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून में किए गए स्थानान्तरण के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 993/2025 दायर की गई थी। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा मेरे उक्त रिट पर स्थगन आदेश (Stay order) पारित किये गये हैं, किन्तु आतिथि तक विचाराधीन रिट पर निर्णय/सुनवाई नहीं हुई है, प्रार्थी का स्थगन आदेश (Stay order) यथावत बना हुआ है। जिसके क्रम में प्रार्थी आतिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा में कार्यरत है। दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या-4 पर अंकित है। अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उक्त आदेशों के क्रम में निर्णय/सुनवाई तक प्रार्थी को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है। |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (एक) | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (दो) | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (तीन) | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (चार) | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (पांच) | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (छः) | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (सात) | | | | | | | |

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- कृष्णा सिंह

पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० ह्यांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद/ तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान | एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है | | टिप्पणी |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | महेन्द्र सिंह बिष्ट | वरिष्ठ सहायक | कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा | अल्मोड़ा/ रानीखेत | | धारा के नाम के आगे ✓ लगाये | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | <p>महोदय वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्रस्तर-17(2)(घ) के प्राविधान के अनुसार संघ के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने का प्राविधान है। मैं वर्तमान में अपने संगठन प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल संवर्ग संघ में मण्डलीय महामंत्री (कुँमाऊ क्षेत्र) के पद पर आसीन हूँ, जिसके क्रम में मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त करते हुए छूट प्रदान की जाय।</p> <p>संलग्न- संघ का पत्रांक-24/मि0ए0 प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग, दिनांक 25.04. 2025।</p> |
| <input type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (एक) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (दो) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (तीन) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (चार) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (पांच) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (छः) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | धारा 17(1) (ख) (सात) | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | धारा 17(2) (घ) | | | | | | | |

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम- महेन्द्र सिंह बिष्ट
पदनाम- वरिष्ठ सहायक


हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम- डी0एस0 हयांकी,
पदनाम- मुख्य अभियन्ता

OK

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद/ तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में | एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है | टिप्पणी |
|----------|------------|--------------|---|----------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | आनन्द सिंह | वरिष्ठ सहपाठ | मुख्य अधिकारी, सी.आ. ली. वि. वि. इलाहाबाद, उत्तराखण्ड | बेरीनाग जलपट्ट - पिपौरा के | द्वारा पान है | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात) | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण दिनांक प्रमाण पत्र हेतु है। छावी डार डिपॉजिट प्रमाणित किया जा रहा है। प्रमाणित किया जा रहा है। प्रमाणित (प) हेतु है। प्रमाणित की जा रही है। |

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 
 नाम- आनन्द सिंह
 पदनाम- वरिष्ठ सहपाठ

12.5.2016
 मुख्य आयुक्त
 हस्ताक्षर (कार्यालय अधीक्षक)
 नाम- सुनेश सिंह
 पदनाम- मुख्य अधिकारी, सी.आ. ली. वि. वि. इलाहाबाद, उत्तराखण्ड

one

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

| क्र० सं० | कर्मचारी कोड | नाम/पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | 10 ऐच्छिक स्थान | टिप्पणी |
|----------|--------------------|--------------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ① | 42270313 M00451 | दीपक सिंह नेगी वरिष्ठ सहायक | मुख्य अभियन्ता द्वितीय कार्यालय लोनी न.व. पोस्ट | | मिथिला प्राचीन विभागाध्यक्ष रेलवे विभाग मुम्बई मुख्य अभियन्ता एवं उपाध्यक्ष लोनी न.व. संघालय में गण्डलाय अध्यक्ष पद पर हैं (अभियन्ता) की द्वारा 1 न ले (उपभोग्य व (घ) एवं (5) ले (अन्तर्गत स्थानान्तरण 0026 में हुए हेतु निवेदन. (गण्डलाय (अध्यक्ष) गण्डाल गण्डल |

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- दीपक सिंह नेगी
पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- मुख् अभियन्ता स्तर-1
पदनाम- एक निर्माण विभाग, पोली

ल एसोसिएशन प्रमुख/मुख्य अभियन्ता सवंग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

फोन नम्बर - 0115 2530431

दिनांक 12 मार्च 2009 को दिनांक 17 अप्रैल 2009 द्वारा मान्यता प्राप्त

का. सं. 1

केंद्र वि. संख्या
2009/147447

दिनांक 23/04/2025

क्र. सं. 2

पत्रांक 24

मिनिस्ट्रियल प्रमुख/मुख्य अभियन्ता सवंग

क्र. सं. 3

श. सं. 1

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लो०नि०वि०, देहरादून।

क्र. सं. 4

पत्रांक

255723

विषय -

प्रमुख/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल सवंग लो०नि०वि० के मण्डलीय अध्यक्ष गढ़वाल एवं मण्डलीय महामंत्री पद के सम्बन्ध में।

क्र. सं. 5

1 संख्या

866529

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.04.2025 को प्रान्तीय कार्यकारणी के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक की गयी जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मती से प्रमुख/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल सवंग लो०नि०वि० के मण्डलीय अध्यक्ष गढ़वाल एवं मण्डलीय महामंत्री कुमाऊ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। गठन के पदाधिकारियों का विवरण निम्नवत है।

क्र. सं. 6

866292

क्र. सं. 7

कुमाऊ

770721

| क्र०सं० | गठन के पदाधिकारियों का नाम | पद नाम |
|---------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | श्री दीपक नेगी | मण्डलीय अध्यक्ष(गढ़वाल क्षेत्र) |
| 2 | श्री महेंद्र सिंह बिष्ट | मण्डलीय महामंत्री(कुमाऊ क्षेत्र) |

क्र. सं. 8


1

979960


क्र. सं. 9

पत्रांक

365551



(केंद्र वि.)
प्रान्तीय महामंत्री



(सन्दीप सिंह)
प्रान्तीय अध्यक्ष

क्र. सं. 10

संख्या

1357028

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ प्रेषित।

- 1-मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० पौड़ी/अल्मोडा/हल्द्वानी।
- 2-श्री शंकर सिंह फर्नांडिस(अध्यक्ष)मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कुमाऊ क्षेत्र अल्मोडा।
- 3-श्री दीपक नेगी(अध्यक्ष) मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी।
- 4-श्री अतुल नौडियाल, महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी।
- 5-श्री महेंद्र सिंह बिष्ट महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कुमाऊ क्षेत्र अल्मोडा।

क्र. सं. 11

संख्या

279777

क्र. सं. 12

संख्या

Signature

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद/तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में | एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है | | टिप्पणी |
|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | मनोज कुमार जोशी | वरिष्ठ स्टाफक | विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०बि० देवघर | रामनगर / नैनीताल | ① मुख्य अभियंता लो०नि०बि० अल्मोड़ा | धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात) | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | प्राची सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में जाने का इच्छा है। |

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) *Signature* 14/05/26

नाम- मनोज कुमार जोशी

पदनाम- वरिष्ठ स्टाफक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) *Signature* 14/5/26

नाम- सुनील कुमार

पदनाम- अधिशासी अभियंता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र0 सं0 | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद / तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान | एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | टिप्पणी |
|-------------|---------------------|--------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | महेन्द्र सिंह बिष्ट | वरिष्ठ सहायक | कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा | अल्मोड़ा / रानीखेत | | धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये गया है | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | महोदय वार्षिक स्थानान्तरण प्रारूप-2017 अधिनियम-2017 प्रस्ताव-17(2)(घ) के अनुसार संघ के पदाधिर रथानान्तरण में छूट प्र का प्राविधान है। मैं व अपने संगठन प्र अभियन्ता / मुख्य अ मिनिरिट्रियल संवर्ग मण्डलीय महामंत्री (कु के पद पर आसीन हूँ। मैं मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण मुक्त करते हुए छूट जाय। संलग्न- संघ पत्रांक-24 / भि0ए0 प्र अभियन्ता संवर्ग, दिनांक 2025। |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(2) (घ) | | |

MNO Singh

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम— महेन्द्र सिंह बिष्ट

पदनाम— वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयवाह्यक्ष)

नाम— डी0एस0 हयांकी,

पदनाम— मुख्य अभियन्ता

Digitally signed by
DIWAKARAN SINGH
Date: 11-05-2026 1

मुख्य अ
सो भि वि

सघं शक्ति कलयुगे

ल एसोसिएशन प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

प्रान्तीय कार्यालय-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय परिसर, बमनस कालोनी, देहरादून

फोन/फैक्स - 0135-2530433

आदेश संख्या- 2784/1101/2009-32(समाप्त) दिनांक 17 अप्रैल, 2009 द्वारा मान्यता प्राप्त

केदार सिंह फर्वाण

प्रान्तीय महामंत्री

मो - 6398047447

श्री जोशी

संख्या

0535316

दिनांक 23/04/2025

व्यस्य पत्रांक 24 /मि020 प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग

561964

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।

शक

पंवार

355723

विषय-

प्रमुख/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल संवर्ग लो0नि0वि0 के मण्डलीय अध्यक्ष गठवाल एवं मण्डलीय महामंत्री पद के सम्बन्ध में।

हाक

शुक्र

166529

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.04.2025 को प्रान्तीय कार्यकारणी के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक की गयी जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मती से प्रमुख/मुख्य अभियन्ता मिनिस्ट्रियल संवर्ग लो0नि0वि0 के मण्डलीय अध्यक्ष गठवाल एवं मण्डलीय महामंत्री कुंमाऊ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। समठन के पदाधिकारियों का विवरण निम्नवत है।

666292

शुक्र

कुमाई

770721

| क्र0सं0 | समठन के पदाधिकारियों का नाम | पद नाम |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | श्री दीपक नेगी | मण्डलीय अध्यक्ष(गठवाल क्षेत्र) |
| 2 | श्री महेंद्र सिंह बिष्ट | मण्डलीय महामंत्री(कुंमाऊ क्षेत्र) |

ठन मंत्री


शुक्र

979960


र सपिब

श्रेती

365551


(केदार सिंह)

प्रान्तीय महामंत्री


(सन्दीप जोशी)
प्रान्तीय अध्यक्ष

यस(गठवाल)

शुक्र

357028

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित।

- 1-मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोडा/हल्द्वानी।
- 2-श्री शंकर सिंह फर्वाण(अध्यक्ष)मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कुमाऊ क्षेत्र अल्मोडा।
- 3-श्री दीपक नेगी(अध्यक्ष) मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन गठवाल क्षेत्र पौड़ी।
- 4-श्री अतुल गोडियाल, महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन गठवाल क्षेत्र पौड़ी।
- 5-श्री महेंद्र सिंह बिष्ट महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कुमाऊ क्षेत्र अल्मोडा।

मत्री(गठवाल)


शुक्र

279177


यस(कुमाई)

शुक्र

251755


(केदार सिंह)

प्रान्तीय महामंत्री


(सन्दीप जोशी)

मत्री(कुमाई)

शुक्र

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद / तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु 10 रैखिक स्थान | एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | टिप्पणी |
|----------|-------------|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1 | कृष्णा सिंह | वरिष्ठ सहायक | कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा | पिथौरागढ़ | - | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | धारा के नाम के आगे ✓ लगाये | | महोदय, गिगत वर्ष में प्रमुख अभियन्ता एवं पिथौरागढ़, लो०नि०वि०, देहरादून के ज्ञाप संख्या 47/24 दिनांक 10.06.2025 का क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा विभाग/अभियन्ता, लो०नि०वि०, देहरादून में स्थानान्तरण के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा० उच्च में रिट पिटीशन संख्या 993/2025 दायर की गई। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा भेरे उक्त स्थान आदेश (Stay order) पारित किये गये हैं। आतिथि तक विचारधीन रिट पर निर्णय/सुनवाई है। प्रार्थी का स्थान आदेश (Stay order) बना हुआ है। जिसके क्रम में प्रार्थी आतिथि तक कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा में कार्यरत है। सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता प्रार्थी का नाम क्रम संख्या-4 पर अंकित है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उक्त आदेशों के निर्णय/सुनवाई तक प्रार्थी को अनिवार्य स्थानान्तरण मुक्त रखा जाय। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल पारित आदेश की प्रति संलग्न है। |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छ) | | |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात) | | |

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम— कृष्णा सिंह
पदनाम— वरिष्ठ सहायक

Digitally signed by
DIWAKARAN SINGH HYANKI
Date: 11-05-2026 12:17:14
हस्ताक्षर (कार्यालय/अभियन्ता)
नाम— डी०एस० ह्यांकी,
पदनाम— मुख्य अभियन्ता,
लो० नि० वि०, अल्मोड़ा

| SL. No | Date | Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures | COURT'S OR JUDGES'S ORDERS |
|--------|------|--|--|
| S1-60 | | | <p>WPSS No.993 of 2025 <u>Hon'ble Ravindra Maithani, J.</u></p> <p>Mr. T.P.S. Takuli, Advocate for the petitioner.</p> <p>Mr. Narayan Dutt, Standing Counsel for the State.</p> <p>Heard.</p> <p>Admit.</p> <p>Learned C.S.C. takes notices for the respondent nos. 1 and 2.</p> <p>Respondents may file counter affidavit within four weeks.</p> <p>Two weeks, thereafter, rejoinder affidavit, if any, may be filed.</p> <p>List this matter on 03.09.2025 for final hearing.</p> <p><u>Heard on Stay Application, IA No.1 of 2025.</u></p> <p>The challenge in this petition is made to the transfer order dated 10.06.2025, by which the petitioner has been transferred from District Almora to District Dehradun.</p> <p>By means of the stay application, the petitioner seeks stay of the effect and operation of the impugned order.</p> <p>Learned counsel for the petitioner submits that a list of employees eligible for transfer from remote areas to accessible areas was prepared by the department, which is Annexure No.2 to the writ petition, but many employees, who had served longer duration in the remote areas have not been transferred, especially, at serial</p> |

no.3, one Kailash Singh Taragi has been referred to.

Learned State Counsel submits that as per instructions, since Mr. Kailash Singh Taragi has not completed for 4 years at the place, therefore, he was not considered.

The provisions of compulsory transfer has been given under Section 17 of The Uttarakhand Annual Transfer for Public Servants Act, 2017 ("the 2017 Act"). In case of compulsory transfer from remote area to accessible area, Clause (c) of Section 17 of the 2017 Act makes provisions. Sub-clause (i), (ii) and (iii) of Section 17(c) of the 2017 Act is as below:-

- (i) The employees eligible for transfer from remote area to accessible area shall be arranged in descending order starting from the employee having longest period of service rendered in remote area during the whole period of service;
- (ii) From the list prepared as above, the husband/wife serving in Government of Uttarakhand shall be allotted the desired place of vacancy, if available;
- (iii) Starting from the employee having served for the longest period in remote area, desired place shall be allotted as per availability of the vacancy. IN the same order desired place shall be allotted to the other employee in descending order or availability of vacancy:

Provided that if option is given in same preferential order by more than one employee for a particular vacancy in accessible area, the vacancy shall be allotted to such employee who has served for longest period in remote area:

Provided further that in case, inspite of consideration as above still remains some employees, who have not been able to get the place of their desired option, the transfer committee shall prepare a list of

such employees as well as vacancies in order of their serial number in the original list of the employees identified for transfer and available vacancies and each employee of the list so prepared shall be allotted a vacancy mentioned in same order in the list of remaining vacancies.

A bare perusal of the above Section 17(c), Sub-clause (i), (ii) and (iii) makes it abundantly clear that once list of employees eligible for transfer from remote area to accessible area is arranged in descending order, the transfer, as per Section 17(c)(iii) of the 2017 Act shall be made starting from the employee having served for the longest duration in the remote area. This Section 17(c) of the 2017 Act does not stipulate any such condition that if an employee has not completed particular years at a place of posting, he shall not be transferred. Transfer shall be made from the list of eligible employees prepared under Section 17(c)(i) of the 2017 Act and that shall be effected starting from the employee, who has served longest duration in the remote area.

In the instant case, *prima facie*, it appears that candidate at serial no.3 of eligibility list, prepared under Section 17(c)(i) of the 2017 Act, has not been transferred despite he having been served longer duration in remote area than the petitioner.

Why is this discrimination? It requires deliberation. Further, does it vitiate the transfer of the petitioner? It would fall for consideration.

Therefore, this Court is of the view that as an interim measure, till the next date of listing, the effect and operation of

the impugned transfer order, *qua* the petitioner, shall remain in abeyance.

Stay application stands disposed of, accordingly.

(Ravindra Maithani J.)

03.07.2025

RV

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जानपद / तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु शैक्षिक स्थान वरिधता कम में | एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है | टिप्पणी |
|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| 1 | दीपक कोबरी | डीपक कोबरी | प्रमुख रूग्णिया एवं वि आण्डर प्रमुख खोकिनिगणपिधारा देहरादून | धारापूर-रुग्णिया तहसील - प्रखण्ड रूग्णिया | कार्यालय प्रमुख रूग्णिया, देहरादून खोकिनिगणपिधारा, देहरादून | <input checked="" type="checkbox"/> धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छ) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात) | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिकारी का वर्तमान कार्यस्थान प्रमाणित किया जा रहा है। |

कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में संक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यालय)
 नाम- दीपक कोबरी
 पदनाम- वीरेंद्र सहपाठक

संजय शर्मा

हस्ताक्षर (कार्यालय)

नाम-
 पदनाम-

दिनांक 27/4/2026
 जिला प्रमुख अभिलेखा एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, देहरादून

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

विषय:- निजी हित में स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अनुरोध है, कि प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी जाने हेतु इच्छुक हूँ। अवगत कराना है, प्रार्थी की वृद्ध माता जी जो कि गॉव में रहती है और काफी वृद्ध हो गयी हैं तो उनकी देख-भाल का पूरा दायित्व मेरे पर ही है। पौड़ी से गॉव (रूद्रप्रयाग) नजदीक होने से वृद्ध माता जी की देखभाल के साथ-साथ गॉव में स्थित मकान देखभाल भी हो जायेगी। देहरादून काफी दूर होने के कारण वृद्ध माता जी और घर की देखभाल न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से घर रूद्रप्रयाग काफी दूर होने के कारण वेतन का आधा हिस्सा घर आने जाने में ही खर्च हो जाता है। देहरादून में किराये के मकान में होने के कारण काफी किराया भी देना पड़ रहा है। प्रार्थी का पैसा किराया देने में ही खर्च होने के कारण घर परिवार का भरण पोषण उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। वेतन का काफी हिस्सा किराया देने में ही खर्च होने के कारण प्रार्थी को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, प्रार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। अवगत कराना है, कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में पदोन्नती के समय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था कि प्रार्थी दुर्गम क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है। कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के अन्तर्गत प्रार्थी का गृह जनपद तथा गृह तहसील भी नहीं आती है।

अतः महोदय, से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थिति को मानवीय दृष्टि के मध्यमनजर रखते हुए कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी में स्थानान्तरण करने की कृपा करें। ताकि प्रार्थी राजकीय कार्यों के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें। जिस हेतु प्रार्थी और प्रार्थी का परिवार आपका आजन्म आभारी रहेगा।

संलग्न :- ~~प्रार्थी~~ प्रार्थी-2

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं
विभागाध्यक्ष

27 APR 2026

प्राप्ति लिपिक
उत्तराखण्ड लॉ0नि0वि0, देहरादून

(दीपक कोठारी)
वरिष्ठ सहायक

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद/ तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में | 7 | 8 | टिप्पणी |
|--------------|-------------|---|------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| सर्वजीत सिंह | वारिक सहायक | सुत्रिय कार्यालय लोक सेवा वि. वि. इच्छी | अरमोड़ा अरमोड़ा | सुत्रिय कार्यालय लोक सेवा वि. वि. इच्छी | धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात) | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | प्रार्थी को दो रोग से पीड़ित है पूर्व में ओ प्रार्थी का आप-ड्रम हो चुका है वर्तमान में मुख्यतः इच्छी में चुनेवाले पानी की परेशानी आका स्थानान्तरण सुत्रिय कार्यालय अरमोड़ा-इच्छी |

कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रामाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एकट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- सर्वजीत सिंह
पदनाम- वारिक सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालय अधिकारी)

नाम- श्री. राजेश कुमार
पदनाम- मुख्य अधिकारी कार्यालय इच्छी

सो. नि. वि. इच्छी

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | वर्तमान कार्यालय का नाम | गृह जनपद/ तहसील का नाम | स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में | 7 धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये | 8 प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण | टिप्पणी |
|----------|-----------|-------------|--|------------------------|---|--|---|--|
| 1 | शंकर सिंह | विक्रम शासक | पुष्पक अभियंत्रण कार्यालय एवं विकास विभाग लो० नि० वि० देहरादून | अल्मोड़ा | 1. मुख्य अभियंता लो० नि० वि० पोड़ी 2. केंद्रीय कार्यालय लो० नि० वि० मुख्य अभियंता देहरादून 3. मुख्य अभियंता विभाग लो० नि० वि० देहरादून 4. मुख्य अभियंता लो० नि० वि० देहरादून | <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात) | प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण पत्नी का सेवा के दिन संबंध प्रमाण पत्र | प्राप्ति की पूर्ण शिक्षा विभाग के कार्यरत होने के कारण का प्रमाण देने की शक्ति देवभक्त प्रसाद सिंह प्रधानाचार्य साक्षात् है। |


नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एकट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यिक) शंकर सिंह दि० 21/05/2026 | 21/5/26
 नाम- शंकर सिंह
 पदनाम- विक्रम शासक
 हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) शंकर सिंह दि० 21/5/26
 नाम- शुभेन्द्र कुमार
 पदनाम- प्रतिभाषी अभियंता

सेवा में,

SAO/एच
135

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि०, देहरादून।



महोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, प्रार्थी की पत्नी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल में (गढ़वाल क्षेत्र) घनसाली क्षेत्रान्तर्गत रा०प्र०वि०, घैरका में सहायक अध्यापिक के पद पर तैनात है। (संलग्न प्रमाण पत्र)

महोदय मेरे बालक की आयु मात्र 3 वर्ष है जिसकी उचित देखभाल एवं समुचित शिक्षण प्रदान करने हेतु वर्तमान में अपने बच्चों के निकटस्थ रहकर राजकीय दायित्वों के साथ-2 पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सकू जिस हेतु अपना स्थानान्तरण गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत स्थित मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी में चाहता हूँ। वर्तमान में बच्चे की देखभाल हेतु अक्सर मुझे अपने तैनाती स्थल से 180 किमी० की दूरी तय करनी होती है। चूंकि मेरे पत्नी के कार्यस्थल से मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी की अनुमानित दूरी लगभग 85 किमी० होगी जिसके फलस्वरूप पति पत्नी के आधार पर स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17(1)(ख) 4 के तहत स्थानान्तरण प्रदान करने पर सकारात्मक विचार करने की कृपा करें।

संतान : शंकर

शंकर सिंह
वरिष्ठ सहायक

309
14-5-26

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दीपाली
लिष्ट पत्नी शंकर सिंह रा. प्रा. विद्यालय धैरका
टिहरी गढ़वाल में वर्तमान में सहायक अध्यापिका
के पद पर कार्यरत है।

[Signature]
प्रधानाध्यापक
गो प्रा० वि० धैरका (आगढ़)
वि०ख० भिलंगना, टि० ग०